

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक B/379 /

जबलपुर, दिनांक 14 / 01 / 2022

श्रीमति सुनीता गौर, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इन्दौर को "माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर से पी.जी.डी.सी.ए. एवं महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर से एम.ओ.एम डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं परीक्षाओं" में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में अध्ययन नहीं करेंगे, शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(सजेन्द्र कुमार वाणी)


रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/380 /

जबलपुर, दिनांक 14 / 01 / 2022

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
 2. रजिस्ट्रार(प्रशा.) / कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 3. एस.पी.एस.ए (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
 4. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(एम) (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 5. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम).....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर/इंदौर,
 7. एडमिनीस्ट्रेटिव ऑफिसर(जूडिशियल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 8. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 9. श्रीमति सुनीता गौर, जूनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(प्रियंका शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Per